संख्या-019/वी.जी.एल/026
केन्द्रीय सतर्कता आयोग
*****

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 23.07.2019

**कार्यालय आदेश सं-04/7/19**

विषय: निकट भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले लोक सेवकों के मामलों का शीघ्र निष्पादन।

संदर्भ: (i) आयोग का दिनांक 27.09.2007 का कार्यालय आदेश सं0 34/9/07.
(ii) आयोग का दिनांक 11.03.2011 का परिपत्र सं0 03/03/11.

आयोग ने अपने उपर्युक्त परिपत्रों द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को अनुशासनिक कार्यवाहियाँ/कार्रवाई का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने का निदेश दिया था, विशेष रूप से उन अधिकारियों के संबंध में, जो निकट भविष्य में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। आयोग ने सतर्कता कार्यकारियों तथा संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारियों को अन्वेषण संचालित करने के उनके कार्यकलाप तथा अनुशासनिक कार्रवाई को समय रहते पूर्ण किए जाने को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर विशेष रूप से बल दिया था ताकि आयोग को ऐसे संदर्भ विलंब से भेजने से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त, यह भी सूचित किया गया था कि सतर्कता मामलों/अनुशासनिक मामलों पर कार्रवाई करने में प्रशासनिक प्राधिकारियों की ओर से अनुचित विलंबों के ऐसे दृष्टांतों को आयोग द्वारा बहुत गंभीरता से देखा जाएगा तथा ऐसे परिहार्य विलंबों के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारियों/प्रशासनिक प्राधिकारियों के प्रति प्रतिकूल दृष्टिकोण लेने पर आयोग बाध्य होगा।

2. इन अनुदेशों के बावजूद, अधिकारी की सेवानिवृत्ति वाले माह के मध्य में संदर्भ आयोग में प्राप्त हो रहे हैं; विशेष रूप से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से, यह स्वीकार्य नहीं है। आयोग ने मुख्य सतर्कता अधिकारियों/अनुशासनिक प्राधिकारियों के ऐसे शिथिल रवैये को गंभीरता से लिया है तथा आयोग पुन: दोहराता है कि सेवानिवृत्ति के ऐसे सभी मामले, संबंधित अधिकारी की सेवानिवृत्ति वाले माह के प्रथम सप्ताह तक प्राप्त हो जाने चाहिए। माह के प्रथम सप्ताह के बाद सलाह के लिए प्राप्त होने वाले मामले/संदर्भ, विभाग/संगठन को आयोग की सलाह के बिना वापस लौटा दिए जाएंगे तथा संबंधित प्राधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी।

3. सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी/प्रशासनिक प्राधिकारी उपर्युक्त अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें।

ह0/-
(जे. विनोद कुमार)
निदेशक

सेवा में

1. मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/केन्द्रीय सार्वजनिक बीमा कं0/वित्तीय संस्थानों/स्वायत्तसाशी संगठनों आदि के सभी सचिव/अध्यक्ष-प्रबंध निदेशक।
2. मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/केन्द्रीय सार्वजनिक बीमा कं0/वित्तीय संस्थानों/स्वायत्तसाशी संगठनों आदि के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी।